आदेश

07.08.18

आवेदिका श्रीमती लखी देवी पति–बासदेव दास ग्राम–शिवमुहल्ला, कोडरमा पो0–कोडरमा थाना–कोडरमा जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के तहत् मौजा–कोडरमा थाना नं0–333 के खाता नं0–64 प्लॉट नं0–3866 रकवा–0.04 एकड़ भूमि अपने परिवार का परवरीस एवं जरूरी खर्च हेतु कृष्णदेव रविदास पिता–जगधारी रविदास ग्राम–बछेडीह पो0–नवलशाही थाना–नवलशाही जिला–कोडरमा के नाम से बिक्री हेतु अनुमति का मांग किया है।

अंचल अधिकारी,कोडरमा का पत्रांक–825 दिनांक–06.07.2018 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का जांच प्रतिवेदन विहित् प्रपत्र में प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि आवेदिका को विक्रय पत्र सं0–2477 दिनांक–20.05.1996 द्वारा हासिल है। आवेदित भूमि रैयती है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदिका भूमिहीन के श्रेणी में नही आतें है। क्रेता एवं विक्रेता एक हीं जाति के हैं एवं अलग–अलग ग्राम के हैं तथा अलग–अलग थाना एवं एक हीं जिला के निवासी है प्रतिवेदित किया गया है, इन्होने प्रस्तावित भूमि की अनुमति हेतु अनुशंसा किया है।

विक्रेता एवं क्रेता अपने–अपने साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया । प्रस्तुत कागजात के अनुसार आवेदिका (विक्रेता) श्रीमती लखी देवी पति–बासदेव दास ग्राम–शिवमुहल्ला, कोडरमा का जाति प्रमाण पत्र सं0–JHCC/2017/758512 दिनांक–16.06.2017 को अंचल अधिकारी,जयनगर द्वारा निर्गत है के अनुसार आवेदिका जाति के चमार है एवं अनुमण्डल पदाधिकारी,कोडरमा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0–JHRC/2017/507174 दिनांक–19.05.2017 के अनुसार आवेदिका श्रीमती लखी देवी पति–बासदेव दास ग्राम–शिवमुहल्ला, कोडरमा जिला–कोडरमा है। क्रेता कृष्णदेव रविदास पिता–जगधारी रविदास का जाति प्रमाण पत्र सं0–JHCC/2016/747270 दिनांक–26.12.16 जो अनुमण्डल पदाधिकारी,कोडरमा द्वारा निर्गत है के अनुसार क्रेता जाति के चमार है। अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0–JHRC/2016/778136 दिनांक–29.12.2016 के अनुसार कृष्णदेव रविदास पिता–जगधारी रविदास ग्राम–बछेडीह पो0–नवलशाही थाना–नवलशाही जिला–कोडरमा है। इस प्रकार क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक हीं जाति एवं एक हीं जिला के निवासी है।

C.C. No. 220 10.8.18

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i) (b) 2nd provision के तहत् प्रश्नगत भूमि मौजा–कोडरमा थाना नं0–333 के खाता नं0–64 प्लॉट नं0–3866 रकवा–0.04 एकड़ भूमि कृष्णदेव रविदास पिता–जगधारी रविदास ग्राम–बछेडीह पो0–नवलशाही थाना–नवलशाही जिला–कोडरमा के नाम से बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। यह आदेश उपायुक्त, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक–2620/गो0 दिनांक–29.09.2011 के तहत् निर्गत आदेश से अच्छादित रहेगा। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, कोडरमा एवं अंचल अधिकारी,कोडरमा को भेंजे।

प्रांक 625 दिनांक 20.8.18 द्वारा प्रेषित

लेखापित एवं संशोधित

07/8/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

07/08/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।